प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

तिथि :- 15 सितम्बर, 2020

समय :- अपराह्न 04.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक 15.09.2020 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	07
03	तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	13
04.	व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में।	16
05.	सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	17
06.	जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।	25
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाक 24.07.2020 का कार्यवृत्त दिनांक 28.07.2020 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 24.07.2020 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति:–

01.	श्री शिवाकान्त द्विवेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
02.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
03.	श्री राजेश प्रताप सिंह	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री अजय कुमार राय	अपर नगर मजिस्ट्रेट–चतुर्थ, प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
05.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
06.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
07.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
08.	श्री पवन अग्रवाल	संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री एस0के0 गुप्ता	महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
10.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
11.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12.	श्री प्रदीप भार्गव	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति:–

14.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्रीमती ऋतु सुहास	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
20.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
21.	श्री डी0एम0 कटियार	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
22.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0
23.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
24.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/ आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद सं0	विषय	निर्णय
168/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
168/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।

168/3	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत समझौते के आधार पर देय अवशेष प्रतिकर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना में देय अवशेष प्रतिकर धनराशि ₹ 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/4	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये, कि सर्वप्रथम् लैंडपूलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये।
168/5	बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पूनर्वासन हेतु निर्माण के मूल्यांकन प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बसंतकुंज योजना में बंधा निर्माण से प्रभावित कैटिल कालोनी में जिन–जिन व्यक्तियों के भूखण्ड का निर्माण प्रभावित हुआ है, ऐसे कुल 143 आंवटी है, जिन्हें उनके निर्माण के मूल्यांकित धनराशि ₹ 1,12,18,663.00 (रूपये एक करोड़ बारह लाख अट्ठारह हजार छः सौ तिरसठ) मात्र का भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/6	आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवा अवधि (दिनांक 31.12.2020 तक) बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि आवंटन तिथि में अनुमानित कीमत आंकलित कर आवंटी से मूल्य लिया जाय तथा निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर और लिया जाय। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन–पत्र में सूचित मूल्य से 10% (कार्नर भूखण्ड तथा मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की स्थिति को छोड़कर) अधिक बढ़ता है, तो आवंटी को विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करें और जमा धनराशि बिना कटौती के वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। भूखण्डों में आवंटन तिथि को प्रचलित दर ही ली जायेगी। इस प्रकार यदि निर्धारित अवधि में आवंटी की रजिस्ट्री/कब्जा की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो, तब भी आवंटी चाहे तो सम्पत्ति क्रय न करें और धनराशि

		वापस किये जाने हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। प्राधिकरण की जिन योजनाओं में निबन्धन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, उन पर प्रभावी नहीं होगा।
168/8	व्यवसायिक भूखण्डों की ई–नीलामी की मूल शर्त संख्या–4 को निक्षेपित करने व नई शर्त जोड़ने के सम्बन्ध में। i) डिफाल्टर्स की नीलामी में भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में। ii) फ्री–होल्ड चार्ज लेने के सम्बन्ध में। iii) 03 वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों की ई–नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि:– i–यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने 03 लगातार किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते है, तो आवेदन करने व ई–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे। ii–शासनादेशानुसार व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी के समय फ्रीहोल्ड शुल्क चार्ज भी भूखण्ड की मूल्यांकित धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा। iii–व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में आवेदकों द्वारा विगत 03 वर्षो की आई0टी0आर0 और हैसियत लिये जांने सम्बन्धी शर्त को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों की सूची और समीक्षा के साथ अगली बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।
168/9	जनपद–लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद–लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इस हेतु QCBS पद्धति पर कंसलटेन्ट की नियुक्ति की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
168/10	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं नियमानुसार शुल्क जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये।
168/11	कैटिल कालोनी के बन्धे के संरेखण एवं अर्धनिर्मित बन्धे के पूर्ण न हो पाने के कारण	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा बंधे से प्रभावित भूखण्डों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत

	प्रभावित भूखण्डों के वृहद् स्तर पर समायोजन हेतु।	प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही बोर्ड द्वारा बन्धे से प्रभावित 322 भूखण्डों (जिनमें 79 भूखण्डों का समायोजन पूर्व में हो चुका है, उन्हें छोड़कर) के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
168/12	बसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान–"पार्क एवं खुला स्थल" हेतु लगभग 65 एकड़ चिन्हित भूमि पर "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित एवं अनुमोदित किया गया।
168/13	अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शमन योजना–2020 लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि जोनवार टीम गठित कर डोर–टू–डोर सर्वे कराकर शमन की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा वस्तुस्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	
अ0वि0 168/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता को उनके गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु किये गये भुगतान, तत्पश्चात् चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 168/2	परिसम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–36/2020/935/आठ–1–20–03बैठक/13टी0सी0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता विषयक शासनादेश अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये–

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में उ0प्र0 शमन योजना 2020 घोषित कर दी गई है, अतः इस सम्बन्ध में जोनवार रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में टीम गठित कर दी जाय। टीम सम्बन्धित स्थलों पर फोटोग्राफी के साथ गूगल मैपिंग, नगर निगम के सम्पत्ति का जी0आई0एस0 सर्वेक्षण एवं अन्य सुसंगत तकनीकी सहारा लेकर शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगी। समस्त विहित प्राधिकारी अपने सम्बन्धित जोन की समीक्षा करें कि शमन के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए है और उनमें कितने निस्तारित हुए है।

2. हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड के ले–आउट तथा नक्शा पास करने के प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 को निर्देश दिये गये कि इसका निस्तारण नियमानुसार करा दिया जाये। साथ ही इस प्रकार के और भी कालोनियों को चिन्हित कर लिया जाये और उनमें भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त के अतिरिक्त श्री पुष्कर शुक्ला, नामित सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की मांग की गई:—

1. एलडीए की मार्केट जिनमें अभी तक अधिकांश दुकानें बन्द पड़ी हैं पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एलडीए की ओर से अन्नपूर्णा काम्पलेक्स, कानपुर रोड एवं अन्य इसी प्रकार की पुरानी योजनाओं के ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस जारी की जाय, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई हैं। नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि आवंटियों द्वारा 01 माह में रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है, तो सुसंगत नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

2. अंसल आंगन फेज–3 ईडब्लूएस मकान के आवंटियों की लाटरी पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अंसल कम्पनी से जानकारी कर ली जाय, यदि कोई लाटरी कराना अवशेष हो या आवंटी प्रतिक्षारत हों, तो नियमानुसार उसे शीघ्र समाधान कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

3. एलडीए द्वारा अधिगृहित ज़मीनों के गांवों का समुचित विकास न होने पर चर्चा।

इस सम्बन्ध में चर्चा हुई कि लखनऊ विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम व नीति के अन्तर्गत गांवों का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कराता है। यदि कोई गांव एलडीए के भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में विकास से वंचित रह गया होगा, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

4. एलडीए के बहुत सारे ऐसे मकान हैं, जिनके मूल आवंटियों ने साधारण एग्रीमेंट पर या अन्य को मकान दे दिए है, जिस पर लोग 20–20, 25–25 वर्ष से काबिज हैं, पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वे कराकर आवंटन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

28/07/2020

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण की 168वीं बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
अनुपालन	नोट किया गया।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत समझौते के आधार पर देय अवशेष प्रतिकर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना में देय अवशेष प्रतिकर धनराशि ₹ 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कामधेनु नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के सापेक्ष समझौते के आधार पर देय रू0 149.00 करोड़, में से स्वीकृत धनराशि रू0 122.31 करोड़ घटाने पर अवशेष प्रतिकर धनराशि रू0 26.69 करोड़ तथा 2.50 प्रतिशत अर्जन व्यय के रूप में धनराशि रू0 3.73 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू0 30.42 करोड़ की स्वीकृति के अनुक्रम में अर्जित भूमि के हितबद्ध काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि रू0 10.00 करोड़, बैंकर चेक/डी0डी0 संख्या—379189 दिनांक 17.08.2020, जो विभागीय पत्र संख्या—416/एसी0/तह0/2020 दिनांक 26.08.2020 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी—भू0अ0, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।
विषय संख्या : 4	लखनऊ—सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम् लैंडपूलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मे0 सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढ़कवा, चौरासी, चौरहिया एवं दुलारमऊ की लगभग 2052.15 एकड़ भूमि, जिसकी चौहद्दी उत्तर–गोमती नदी, दक्षित–सुल्तानपुर रोड, पूरब–इन्दिरा नहर, पश्चिम–उपरोक्त गांवो की सीमा तक, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.07.2020 में लैण्ड पुलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है, जिसके क्रम में लैण्ड पूलिंग स्कीम की विशेषताओं तथा लाभों से हितबद्ध कास्तकारों को अवगत कराये जाने हेतु प्रचार सामग्री के रूप में 2500 पम्पलेट व आवेदन पत्र/शपथ–पत्र छपवाकर वितरित किये जाने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27.08.2020 की दी जा चुकी हैं, जिसके क्रम में उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्रारूप की 2500–2500 प्रतियां छपवाकर उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त सचिव–डी को सूचित कर दिया गया है। टीम का गठन कर लैण्ड पूलिंग पॉलिसी का प्रचार–प्रसार कर कास्तकारों की सहमति की दशा में सहमति पत्र भरवाया जायेगा।

विषय संख्या : 5 बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पूनर्वासन हेतु निर्माण के मूल्यांकन प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बसंतकुंज योजना में बंधा निर्माण से प्रभावित कैटिल कालोनी में जिन–जिन व्यक्तियों के भूखण्ड का निर्माण प्रभावित हुआ है, ऐसे कुल 143 आंवटी है, जिन्हें उनके निर्माण के मूल्यांकित धनराशि ₹ 1,12,18,663.00 (रूपये एक करोड़ बारह लाख अट्ठारह हजार छः सौ तिरसठ) मात्र का भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध निर्माण से प्रभावित आवंटियों के निर्माणों के मूल्यांकित/सत्यापित सूची के अनुसार नियमित निर्माण के प्रतिकर की धनराशि का वितरण किया जाना है, जिसके क्रम में मूल्यांकित सूची एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.07.2020 का कार्यवृत्त संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय पत्र संख्या–402/एसी/तह/2020 दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी–भू0अ0, नगर महापालिका–प्रथम, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा निर्माण के प्रतिकर वितरण हेतु प्रपत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 36 पशुपालकों की पत्रावलियाँ तैयार कर ली गयी है। शीघ्र ही वांछित धनराशि भूमि

अध्याप्ति कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

विषय संख्या : 6	आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवा अवधि (दिनांक 31.12.2020 तक) बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
विषय संख्या : 7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि आवंटन तिथि में अनुमानित कीमत आंकलित कर आवंटी से मूल्य लिया जाय तथा निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर और लिया जाय। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन–पत्र में सूचित मूल्य से 10% (कार्नर भूखण्ड तथा मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की स्थिति को छोड़कर) अधिक बढ़ता है, तो आवंटी को विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करें और जमा धनराशि बिना कटौती के वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। भूखण्डों में आवंटन तिथि को प्रचलित दर ही ली जायेगी। इस प्रकार यदि निर्धारित अवधि में आवंटी की रजिस्ट्री/कब्जा की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो, तब भी आवंटी चाहे तो सम्पत्ति क्रय न करें और धनराशि वापस किये जाने हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। प्राधिकरण की जिन योजनाओं में निबन्धन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, उन पर प्रभावी नहीं होगा।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
विषय संख्या : 8	व्यवसायिक भूखण्डों की ई–नीलामी की मूल शर्त संख्या–4 को निक्षेपित करने व नई शर्त जोड़ने के सम्बन्ध में। i) डिफाल्टर्स की नीलामी में भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में। ii) फ्री–होल्ड चार्ज लेने के सम्बन्ध में। iii) 03 वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त व्यवसायिक सम्पत्तियों/ भूखण्डों की ई–नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया

कि:—

i—यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने 03 लगातार किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि ई—नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते है, तो आवेदन करने व ई—नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे।

ii—शासनादेशानुसार व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी के समय फ्रीहोल्ड शुल्क चार्ज भी भूखण्ड की मूल्यांकित धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा।

iii—व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में आवेदकों द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 और हैसियत लिये जाने सम्बन्धी शर्त को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों की सूची और समीक्षा के साथ अगली बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है:—

i— डिफाल्टर्स को नीलामी में भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में बोर्ड के निर्णय को लागू कर दिया गया है। भविष्य में होने वाली नीलामी में इसी निर्णय के अनुसार नीलामी प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

ii— बोर्ड के निर्णयानुसार अब सम्पत्तियों के मूल्य का मूल्यांकन करने के समय ही फ्रीहोल्ड शुल्क शासनादेश के अनुसार सम्पत्ति की लागत का 12 प्रतिशत सम्मिलित किया जायेगा और जो मूल्य प्रकाशित किया जायेगा, उसमें पहले से ही फ्रीहोल्ड शुल्क समाहित होगा।

iii—व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में आवेदकों द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 और हैसियत लिये जाने सम्बन्धी शर्त को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित कोटे की रिक्त सम्पत्तियों की सूची तैयार कर ली गयी है तथा प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय संख्या : 9

जनपद—लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद—लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर किये जाने पर

अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इस हेतु QCBS पद्धति पर कंसलटेन्ट की नियुक्ति की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पार्किंग भूखण्ड के भू–उपयोग को मल्टीलेविल पार्किंग कम बहुउद्देश्य व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु फैसिलिटी भूखण्ड में परिवर्तित करने हेतु मुख्य नगर नियोजक को पत्रांक–321/अ0अ0–2/2020–21 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही पी0पी0पी0 मॉडल पर निर्माण के आधार पर करने के साथ–साथ QCBS पद्धति पर कंसलटेन्ट हेतु कार्यवाही गतिशील है।

विषय संख्या : 10 भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं नियमानुसार शुल्क जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही/अनुपालन कराया जा रहा है।

विषय संख्या : 11 कैटिल कालोनी के बन्धे के संरेखण एवं अर्धनिर्मित बन्धे के पूर्ण न हो पाने के कारण प्रभावित भूखण्डों के वृहद् स्तर पर समायोजन हेतु।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा बंधे से प्रभावित भूखण्डों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही बोर्ड द्वारा बन्धे से प्रभावित 322 भूखण्डों (जिनमें 79 भूखण्डों का समायोजन पूर्व में हो चुका है, उन्हें छोड़कर) के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व में अपर सचिव/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20.05.2015 के क्रम में समायोजित 79 भूखण्डों के भौतिक कब्जे की कार्यवाही के सम्बन्ध में अभियंत्रण खण्ड को पत्र संख्या–410/एसी./तह./2020 दिनांक 30.08.2020 प्रेषित किया गया है तथा शेष 243 भूखण्डों के समायोजन के लिए विभागीय पत्र संख्या–87/तह.–सम्पत्ति/2020 दिनांक 01.09.2020 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जोन–7 को नये सृजित भूखण्डों को तलपट मानचित्र पर अंकित करते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तलपट मानचित्र प्राप्त होते ही समायोजन की कार्यवाही प्रभावित आवंटियों के पक्ष में कराई जायेगी।

विषय संख्या : 12 बसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान–"पार्क एवं खुला स्थल" हेतु लगभग 65 एकड़ चिन्हित भूमि पर "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित एवं अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" के विकास कार्य कराये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर EOI के माध्यम से कन्सलटेंट का चयन करते हुए अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। कन्सलटेंट द्वारा PPR तैयार की जा रही है।
विषय संख्या : 13	अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त शमन योजना–2020 लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि जोनवार टीम गठित कर डोर–टू–डोर सर्वे कराकर शमन की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा वस्तुस्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अधिशासी अभियन्ता–मानचित्र के अधीन भूतल स्थित काउण्टर पर अवर अभियन्ताओं के माध्यम से शमन योजना–2020 के आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे है। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण के समस्त प्रवर्तन जोनों द्वारा शमन की कार्यवाही हेतु अपने जोन में सर्वेक्षण किया जाना है।
अ0वि0 संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता को उनके गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु किये गये भुगतान, तत्पश्चात् चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
अ0वि0 संख्या : 2	परिसम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–36/2020/935/आठ–1–20–03बैठक/13टी0सी0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता विषयक शासनादेश अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अंगीकृत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही/अनुपालन किया जा रहा है।

प्रस्ताव संख्या–1, तीन वर्ष का आयकर रिर्टन/हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी में वर्तमान में लागू शर्त संख्या–4 जोकि इस प्रकार है:–

''ई–आक्शन दाता/बोलीदाता से विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न विवरण/हैसियत सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है'' इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक–06.09. 2008 के विषय संख्या–11 मे निम्नवत् प्रस्ताव पारित किया गया था:–

विषय संख्या–11

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तो में संशोधन किया जाना।

निर्णयः–प्रस्तुत प्रस्ताव के चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं के पालन कराने के साथ–साथ निम्न–

1. संक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत 06 माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये।

2. बोलीदाता से विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न विवरण, टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये।

उल्लेखनीय है कि यह प्राविधान **अनुसूचित जाति/जनजाति** के आरक्षित भूखण्डों के लिए किया गया था। सम्भवतः तदसमय सम्पन्न लोग अपने करीबी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगो के नाम से भूखण्ड नीलामी में ले लेते थे। इसी कारण इस शर्त का प्राविधान किया गया था कि छदम आवेदक भूखण्ड आवंटन न करा पाये। परन्तु ल0वि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2008 में बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरान्त जो शर्ते निर्धारित की गयी उसमें वर्ष 2008 में शर्त को निम्नवत् रखा गया:–

ई–आक्शनदाता/बोलीदाता से विगत 03 वर्षा का आयकर रिर्टन विवरण/हैसियत सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि ल0वि0प्रा0 द्वारा इस शर्त को **सामान्य रूप से समस्त श्रेणी** के भूखण्डों पर लागू कर दिया गया। जबकि वास्तव में बोर्ड द्वारा केवल **आरक्षित वर्ग** के भूखण्डों हेतु प्राविधान किया गया था।

वास्तव में लखनऊ विकास प्राधिकरण भूखण्ड का आवंटन करता है वह किसी व्यवसायिक भूखण्ड के निमार्ण का ठेका नही दे रहा है, जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार से उसका हैसियत प्रमाण पत्र/03 वर्ष का आयकर रिर्टन इत्यादित की डिमाण्ड की जाती है जिसका उद्देश्य यह है कि सम्बन्धित निर्माण का वह अपने स्तर से कराता रहे भले ही विभाग से भुगतान

में देरी हो, जिससे प्रोजेक्ट बाधित न हो, अथवा क्वालिटी में कोई कमी पाये जाने पर उससे भुगतान की राशि की रिकवरी/वसूली की जा सके।

परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण को नीलामी से आवंटित/विक्रय करने पर अधिक मूल्य प्राप्त होता है और साथ ही यदि आवंटी नियत समय में धनराशि जमा नही करता है तो प्राधिकरण उससे उस धनराशि पर दण्ड ब्याज भी लेता है, यदि आवंटी काफी समय तक आवंटन पत्र में अंकित किश्तों के अनुसार कई किश्तो का भुगतान नही करता है तो प्राधिकरण आवंटन निरस्त कर धरोहर धनराशि/टोकन मनी को जब्त कर लेता है, और उस भूखण्ड को पुनः नई दर पर नीलामी में विक्रय करता हैं। ऐसा किये जाने पर प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नही बल्कि लाभ होता है।

वर्तमान में प्राधिकरण के पास अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित कुल–124 सम्पत्तियॉ है ऐसी जिनका आवंटन नही किया जा सका है।

उल्लेखनीय है कि हैसियत प्रमाण पत्र/03 वर्षो का आयकर रिर्टन लेने का प्राविधान प्रदेश के बड़े विकास प्राधिकरणों में यथा कानपुर, गाजियाबाद, नोयडा तथा आवास विकास परिषद् में लागू नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिर्टन व हैसियत प्रमाण पत्र में ''आय'' का कोई मानक नही रखा गया है अर्थात यदि ''जीरो'' इनकम का रिर्टन भी आवेदक देता है तो उसे नीलामी में भाग लेने से रोका नही जा सकता है जिससे रिर्टन देने की शर्त का कोई व्यवहारिक महत्व नही रह जाता है। प्राधिकरण हित में ई–आक्शन/मैनुअल नीलामी में **''प्रतिस्पर्धा बढ़ाये''** जाने हेतु इस शर्त को विलोपित किया जाना उचित हैं, क्योंकि अक्सर नीलामी में ऐसी कम्पनियां भाग लेती है जो 03 वर्ष से कम पुरानी है, परन्तु वो उच्च बोली लगाती है। यदि उनको इस शर्त के आधार पर नीलामी से रोका जाता है तो प्राधिकरण उच्च बोली से वंचित हो जाता है। **इसलिये प्राधिकरण के वित्तीय हित में है इस शर्त को विलोपित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा हैं।**

03/09/2020
(आलोक नाथ)
प्र० सहा०

03/9/2020
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी

3/9/20

(डी० एम० कटियार)
संयुक्त सचिव
ल०वि०प्रा०

बोर्ड प्रस्ताव हेतु अनुपूरक सामग्री

लखनऊ विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्त सम्पत्तियों की संख्या।

विनय खण्ड–1 गोमती नगर में निर्मित काम्प्लेक्स में के दुकानों की सं0–	09
विराज खण्ड–4 में निर्मित काम्प्लेक्स में दुकानों की संख्या–	02
गोमती नगर योजना विराज खण्ड में निर्मित दुकानों की संख्या–	04
सी.जी. सिटी चकगंजरिया में निर्मित दुकान/स्टोर की संख्या–दुकान की संख्या–	03
व स्टोर की संख्या–	23
गोमती नगर विस्तार में भूखण्डों की संख्या–	02
कानपुर रोड योजना सेक्टर–एच में निर्मित अन्नपूर्णा काम्प्लेक्स में निर्मित	
दुकान व हाल की संख्या–	01
हाल संख्या–	05
कानपुर रोड योजना सेक्टर–डी में निर्मित गोल मार्केट में स्थित हाल की संख्या–	02
कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी में निर्मित ब्रम्हमकुंज काम्प्लेक्स दुकान/रूम/हाल की सख्या–	
दुकान की संख्या–	02
रूम की संख्या–	02
हाल की संख्या–	03
प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर–बी में निर्मित दुकान की संख्या–	13
प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर–सी में निर्मित एल.एस–01 पर दुकान की संख्या–	05
एल.एस–2 पर निर्मित दुकान की संख्या–	02
अलीगंज योजना सेक्टर–एन पॉकेट संख्या–02 में निर्मित दुकान की संख्या–	03
जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर–6 में निर्मित दुकान संख्या–	03
जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर–7 में निर्मित दुकान की संख्या–	03
जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर–2 में निर्मित टीन सेड चबूतरों की संख्या–	17
देवपुर पारा आवासीय योजना में निर्मित टावरों में स्टील्ट तल पर निर्मित दुकानों की संख्या–	06
शारदा नगर योजना रतन खण्ड में निर्मित काम्प्लेक्स में दुकानों की संख्या–	14
कुल रिक्त की संख्या–	**124**

04/9/20 04/9/20 04/9/2020

प्रस्ताव संख्या–2 व्यवसायिक काम्पलेक्स सेक्टर–4, गोमतीनगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने विषयक

गोमतीनगर विस्तार सेक्टर–4 में स्थित सरस्वती अपार्टमेंट के बगल कन्विनिएन्ट शाप, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

- पूरे काम्पलेक्स का न्यूनतम मूल्य–84802000.00
- भूमि का क्षेत्रफल–1027.94 वर्गमीटर जिसमें लोअर ग्राउण्ड, ग्राउण्ड एवं प्रथम फ्लोर का निर्माण हुआ है।
- को ई–आक्सन/मैनुअल नीलामी के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में:–

अवगत करना है कि किसी भी शापिंग काम्पलेक्स की मुख्य लोकेशन की दुकान नीलामी में सबसे पहले विक्रय हो जाती है। जिससे शापिंग काम्पलेक्स पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाता और शेष दुकाने नीलामी में विक्रय न होने के कारण जर्जर हो जाती है, इसलिए उनका अधिक मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है तथा प्राधिकरण को बार–बार नीलामी में दुकानों को विक्रय हेतु लगाना पड़ता है जिससे प्रकाशन का खर्च भी बार–बार प्राधिकरण को करना पड़ता है और प्राधिकरण की वित्तीय हानि होती है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजना में ऐसे कई काम्पलेक्स है जिनकी दुकाने नीलामी से अवशेष रहने पर कई बार उनको नीलामी में प्रस्तावित कर विक्रय किया गया है, जिनमें प्रमुखतः कैलाश कुंज काम्पलेक्स, नन्दाखेड़ा काम्पलेक्स की दुकाने है।

इसलिए उचित होगा कि प्रश्नगत सम्पूर्ण काम्पलेक्स को ई–ऑक्शन/मैनुअल नीलामी में प्रस्तावित कर किसी बिल्डर/कम्पनी को एक ही बार में विक्रय कर दिया जिससे प्राधिकरण को एक मुश्त धनराशि प्राप्त होने के साथ ही प्राधिकरण बार–बार प्रकाशन के खर्च से भी बच जाये।

तद्नुसार प्रस्ताव मा0 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णय/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(डी0 एम0 कटियार)
संयुक्त सचिव

विषय संख्या : 05 पृष्ठ संख्या : 17

विषय : " सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षो में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने" की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 626/सचिव/बल्कसेल/19 दिनांक 18.10.2019 में भूमि के मूल्य के भुगतान की उपरोक्त प्रक्रिया पर सहमति दी गयी है। पुनः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के मूल्य का 1 प्रतिशत अर्थात रू0–73.78 लाख जो प्रत्येक दो वर्ष पर 10 प्रतिशत की वृद्धि पर 90 वर्ष तक देना होगा, जो निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कठिन है।

उपरोक्त के दृष्टिगत परिवहन निगम स्तर से निम्नवत् सुझाव दिये गये हैः–

1. भूमि के मूल्य का अग्रिम 10 प्रतिशत लेकर शेष 90 प्रतिशत 15 वर्षो में समान किश्तों का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाय।
2. कमता बस स्टेशन के भुगतान की तर्ज पर जानकीपुरम की भूमि का 15 समान किश्तों में भुगतान कर दिया जाय।
3. भूमि के मूल्य का एक प्रतिशत का भुगातन की धनराशि में प्रति दो वर्ष की कोई वृद्धि न हो।

परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त तीनों विकल्पों में से निर्णय अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की 166वी बैठक दिनांक 06.11.2019 के विषय सं0–5 में "लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टैण्ड, बजट होटल एवं जानकीपुरम, सीतापुर रोड सेक्टर–ई में बस स्टेशन आरक्षित भूखण्ड के मूल्यॉकन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था "

(नन्द किशोर वर्मा)
कनिष्ठ लिपिक

(जितेन्द्र कुमार सिं
अनुभाग अधिकारी

संयुक्त सचिव

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक की स्वीकृति निम्नवत् हैः–

जानकीपुरम सीतापुर रोड सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 परिवहन विभाग को 90 वर्ष की लीज पर प्रति वर्ष के आधार पर लीज रेन्ट का निर्धारण करते हुए एंव जिलाधिकारी की दरों में सम्भावित दर को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो बोर्ड बैठक द्वारा दिनांक 06.11.2019 को अनुमोदित किया गया है। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा संस्था के पक्ष में आवंटन पत्र दिनांक 27.11.2019 निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में संस्था द्वारा रू0–73.78 लाख जमा किया गया है।

परन्तु संस्था द्वारा पुनः अनुरोध किया गया है" कि जानकीपुरम सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई स्थित बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षो में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जायेगा"।

प्रस्ताव : उक्त तथ्यों के आलोक में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई स्थित बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 क्षेत्रफल 18445.44 वर्ग मीटर भूमि के विक्रय मूल्य का अग्रिम 10 प्रतिशत लेकर शेष 90 प्रतिशत 15 वर्षो में ब्याज सहित 15 समान किश्तों का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाय। निर्धारित अवधि में धनराशि न जमा किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा, का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कनिष्ठ लिपिक

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी

7/9/20
संयुक्त सचिव
व्यावसायिक/सम्पत्ति सेल
ल0वि0प्रा0

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
संख्या 1197/सचिव/बल्क सेल/20
दिनांक 03/09/2020

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी,
लखनऊ–226001

विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–ई स्थित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 बस स्टेशन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या–148बी/20–02बी/ लखनऊ/2016 दिनांक 16.3.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई स्थित बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 क्षेत्रफल 18445.44 वर्ग मीटर भूमि की धनराशि सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अगवत कराना है कि सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई स्थित बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 क्षेत्रफल 18445.44 वर्ग मीटर भूमि के विक्रय मूल्य का अग्रिम 10 प्रतिशत लेकर शेष 90 प्रतिशत 15 वर्षो में व्याज सहित समान किश्तों का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाय निर्धारित अवधि में धनराशि न जमा किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई स्थित बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0–सी0पी0–13 क्षेत्रफल 18445.44 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में सहमति से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

01/9/20
(एम0पी0 सिंह)
सचिव

पंजीकृत 20

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाषः पी.बी.एक्स 2625439, 26222363, 2628461

फैक्सः 522–2274526, 2228841, 2274578

पत्रांक 1548 बी/20–02बी/लखनऊ/2016 दिनांक 16 मार्च, 2020

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–ई स्थित भूखण्ड सं0–सी0पी0 सं0–13 बस स्टेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र सं0–898/जे0एस(डी)/बल्कसेल/20 दिनांक 28.02.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सीतापुर रोड योजना की जानकीपुरम में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 18445.44 व0मी0 भूमि का ड्राफ्ट एम0ओ0यू0 विलेख के निष्पादन हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि को परिवहन निगम को 90 वर्ष की लीज पर भूमि के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट (वर्तमान लीज रेन्ट रू0 73.78 लाख) निर्धारित किया गया है। अग्रेतर हर दो वर्ष पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों में वृद्धि के दृष्टिगत यह दर 10 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी। यदि इस दर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जाता है तो 90 वर्ष की समाप्ति तक निगम को कुल रू0 1060.817 करोड़ का भुगतान करना होगा। इतनी अधिक धनराशि का भार वहन करना निगम के लिये कठिन होगा।

उपरोक्त कम में अवगत कराना है कि शहर की जाम की समस्या के समाधान के दृष्टिगत अध्यक्ष, परिवहन निगम द्वारा विभिन्न विभागों की दिनांक 02.09.2016 एवं 19.01.2017 को बैठक बुलायी गयी थी, जिसमें जानकीपुरम की प्रश्नगत भूमि के भुगतान पर निम्नवत् निर्णय हुआ थाः–

"जानकीपुरम विस्तार में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि एवं पॉलटेक्निक कमता में विकास प्राधिकरण द्वारा बस स्टेशन हेतु आरक्षित स्थल के निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुये बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षो में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जायेगा।"

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 626/सचिव/बल्कसेल/19 दिनांक 18.10.2019 में भूमि के मूल्य के भुगतान की उपरोक्त प्रकिया पर सहमति दी गयी है। पुनः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के मूल्य का 1 प्रतिशत अर्थात् रू0 73.78 लाख जो प्रत्येक दो वर्ष पर 10 प्रतिशत की वृद्धि पर 90 वर्ष तक देना होगा, जो निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत् कठिन है।

उपरोक्त के दृष्टिगत् परिवहन निगम स्तर से निम्नवत् सुझाव हैः–

1– भूमि के मूल्य का अग्रिम 10 प्रतिशत लेकर शेष 90 प्रतिशत 15 वर्षो में समान किश्तों का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाय।

2– कमता बस स्टेशन के भुगतान के तर्ज पर जानकीपुरम की भूमि का 15 समान किश्तों में भुगतान कर दिया जाय।

3– भूमि के मूल्य का एक प्रतिशत का भुगतान की धनराशि में प्रति दो वर्ष की कोई वृद्धि न हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तीनों विकल्पों में से निर्णय अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें:—

उपस्थितिः—

01.	श्री अभिषेक प्रकाश	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	सुश्री अपूर्वा दुबे	विशेष सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
06.	श्री सुनील चौधरी	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
08.	श्री बी0एल0 गौतम	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
09.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन।
10.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रतिनिधि–अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अन्य उपस्थितिः—

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री संदीप श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:—

मद सं0	विषय	निर्णय
166/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या–7, 8 एवं 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या–2 में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 के क्रम में पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
166/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
166/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट–नो लॉस" एवं शासन की

		मंशानुरूप जन–सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अर्फोडेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 17 से 20 वर्ष पुराने 5 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गणना अनुभाग में एक अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट आऊटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात्, तत्समय से 06 माह की अवधि तक मूल्यांकन कार्य करने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को शासनादेशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को कम/फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित भूमि 12.32 हे0 की धनराशि रू0 160.42 करोड के सापेक्ष चक गंजरिया परियोजना में 9.74 एकड़ के सापेक्ष व्यवसायिक भूखण्ड सं0–ई–4 (2.74 एकड़), ई–6 (3.21 एकड़) एवं ई–7 (3.55 एकड़) अर्थात् कुल 9.5 एकड़ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने एवं शेष 0.24 एकड़ के मूल्य की धनराशि वाह्य विकास शुल्क/अन्य व्यय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/9	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रेण्ट अनुभाग में किराये पर आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की रेण्ट सम्पत्तियों के अन्तर्गत व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 के अनुसार उसका 25 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 में उल्लिखित व्यावसायिक दरों का आध[illegible] करने के पश्चात उसका 25 प्रतिशत निर्धारित कि[illegible] जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदा[illegible] किया गया। साथ ही सम्बन्धित किरायेदार को रे[illegible] बढ़ोत्तरी के साथ–साथ शासनादेशानुसार सम्पत्[illegible] क्रय किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराये जा[illegible] के निर्देश दिये गये।
166/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति के	सम्यक् विचारोपरान्त जो योजनाएं नगर नि[illegible] लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण [illegible] "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं [illegible] अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति विष[illegible] प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाइल[illegible]

		प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पत्ति अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र/आख्या भी प्राप्त कर ली जाय और उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर न बनाया जाय।
166/32	जानकीपुरम योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए तथा सी–1/362ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/33	जनपद–लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तद्नुसार मान्यता प्रदान की गई।
166/35	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या– SSE–87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/36	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मस्तेमऊ व बक्कास जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

8/11/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

11/XI/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु: प्रबन्ध निदेशक, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या 444 सी/19 20 लखनऊ/16 दिनांक 17.09.2019 द्वारा शहर के अन्दर जाम की समस्या के निदान हेतु कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन एवं जानकीपुरम, सीतापुर रोड, सेक्टर ई में 5 एकड़ भूमि बस स्टेशन हेतु न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा सम्यक समाधान हेतु सुविचारित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश पत्र संख्या-88/सी0पी0 2019 दिनांक 20.09.2019 दिये गये है।

कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन का मूल्यांकन भूमि का अर्जन मूल्य तथा अर्जन की तिथि से वर्तमान तक ब्याज की गणना करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बस स्टैण्ड की भूमि एवं उस पर निर्मित बस स्टैण्ड को 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। संलग्नक–1

2--जानकीपुरम, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या सी0पी0--13 परिवहन विभाग को 90 वर्ष की लीज पर प्रीमियम के आधार पर लीजरेण्ट का निर्धारण करते हुए एवं जिलाधिकारी की दरों में सम्भावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। संलग्नक 2

3--प्राधिकरण द्वारा कमता चौराहे के पास निर्मित बजट होटल का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दरों पर कास्टिंग गाइड लाइन्स के अनुसार करते हुए ई–ऑक्शन के माध्यम से नीलामी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। संलग्नक–3

(सी0ए0ए0)

विषय :– जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट, की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु : जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, (बेसमेन्ट) की आख्या निम्नवत् है :–

1. श्री रमेश निगम द्वारा मा0 न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज–6, लखनऊ में वाद दायर किया गया। उक्त मूल वाद संख्या–293/84 में पारित निर्णय दिनांक–03.02.1989 के आदेश के मुख्य बिन्दु "**वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध सव्यय डिक्री किया जाता है प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि दुकान संख्या–बी–42 जनपथ मार्केट लखनऊ वादी को एक महीने में विधिवत् आवंटित करें और यदि यह बी–42 प्रतिवादी या किसी विभाग से कंट्रोल में हो तो उसे इसी अवधि में बी–31 (वाई) विस्थपित कर दें**" के अनुपालन में ही उपरोक्तानुसार तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान संख्या–04, बेसमेन्ट, का आवंटन प्राविजनली किया गया था।
2. जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट, का आवंटन तत्कालीन सचिव, के कार्यालय पत्र संख्या–1997/सचिव/वि0प्रा0 दिनांक–17.07.1989 के द्वारा प्राविजनली इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि दुकान का कब्जा शासन से मुक्त होने के बाद ही दिया जायेगा तथा आवंटी श्री रमेश निगम अपना मुकदमा वापस ले लेंगें।
3. जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–03, एवं 04, बेसमेन्ट, दुकान का दैनिक समाचार पत्र में नीलामी हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक–31.12.2001 के आलोक में दुकान संख्या–04, बेसमेन्ट को नीलामी में रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में वाद संख्या–4665 (एम0बी0)/2002 दायर किया गया। जिसमें पारित निर्णय दिनांक–08.10.2010 के मुख्य अंश "It is accordingly dismissed for want of prosecution.
The interim order, if any, stands vacated"
4. आवंटी श्री रमेश निगम द्वारा उक्त आवंटित दुकान/गोदाम के मद में कोई भी धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नही की गयी है।
5. उक्त दुकान/गोदाम के कब्जे के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जोन–6 द्वारा दिनांक–18.10.2019 को अवगत कराया गया है कि उक्त दुकान का कब्जा व्यवस्थाधिकारी विकास भवन, जनपथ लखनऊ से चाभी संख्या–ए0के0 137, श्री सुशील कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा प्राप्त करतें हुए अनुभाग में जमा कर दी गयी है।
6. उक्त दुकान/गोदाम संख्या–04 का लीज–प्लान 59.38 वर्ग मीटर का प्राप्त हुआ है। लीज–प्लान प्राप्ति के उपरान्त गणना विभाग से वर्तमान दर से गणना कराये जाने के पश्चात् आवंटी को सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रू0–86,63,600/– 10 प्रतिशत लीज–शुल्क रू0–4,86,920/– तथा अन्य शुल्क रू0–500/– अर्थात

कुल रू0–91,51,020/– (रूपये इक्यानवे लाख इक्यावन हजार बीस मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या–3884/रेण्ट दिनांक–21.11.2019 द्वारा सूचना दी गयी।

7. आवंटी श्री रमेश निगम द्वारा प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा न कर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को सम्बोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि **"मुझे दुकान की 91.92 लाख कीमत जमा करना है लेकिन मुझे किसी प्रकार की छूट नही दी गयी है, कृपया डिप्रेशिएशन लगाते हुए इसकी कीमत घटाई जाये और रू0–10.45 लाख की जाये।"**

8. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से दिनांक–19.06.2020 को जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, की आयु एवं डिप्रीसिएशन वैल्यू की जानकारी की गयी। जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पत्र संख्या–1458, दिनांक–24.06.2020 के द्वारा उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू रू0–4.37 लाख है, जिसमें फर्नीचर की लागत सम्मिलित नही है। साथ ही लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के प्रेषित पत्र के साथ संलग्नक पत्र में उक्त सम्पत्ति का क्षेत्रफल–57.37 वर्ग मीटर के आधार पर सम्पत्ति का मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू की गणना का आगणन प्रस्तुत किया गया है।

9. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू की गणना के आगणन के आधार पर दुकान/गोदाम संख्या–04, की पूर्व में की गयी गणना की पुष्टि करवाये जाने हेतु पत्रावली वित नियंत्रक को प्रेषित की गयी थी, जिसपर गणना विभाग द्वारा निम्नलिखित 02 बिन्दुओं पर प्रशासनिक निर्णय लिये जाने का मंतव्य दिया गया है :–

I. डी0एम0 सर्किल दर के अनुसार निर्माण लागत के स्थान पर पी0डब्लू0डी0 के द्वारा प्रेषित निर्माण लागत से गणना करना।

II. चूँकि पी0डब्लू0 डी0 द्वारा निर्माण लागत 57.37 वर्ग मीटर की है, उसको 59.38 वर्ग मीटर लेकर गणना करना तथा 15 प्रतिशत ओवर हेड व 15 प्रतिशत कान्टिनजेन्सी जोड़कर एवं चूँकि पी0डब्लू0डी0 की दर वर्ष 2018 की है अतः 02 वर्ष 06 माह (ढ़ाई वर्ष) का ब्याज लेकर गणना करना है।

पर प्रस्ताव बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव : प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपरोक्तानुसार जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, आवंटी श्री रमेश निगम के पक्ष में आवंटित सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नलिखित दो बिन्दुओं के आधार पर पर विचार करके निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत है।

I. डी0एम0 सर्किल दर के अनुसार निर्माण लागत के स्थान पर पी0डब्लू0डी0 के द्वारा प्रेषित निर्माण लागत से गणना करना।

II. चूँकि पी0डब्लू0 डी0 द्वारा निर्माण लागत 57.37 वर्ग मीटर की है, उसको 59.38 वर्ग मीटर लेकर गणना करना तथा 15 प्रतिशत ओवर हेड व 15 प्रतिशत कान्टिनजेन्सी जोड़कर एवं चूँकि पी0डब्लू0डी0 की दर वर्ष 2018 की है अतः 02 वर्ष 06 माह (ढ़ाई वर्ष) का ब्याज लेकर गणना करना है।

न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज- 6, लखनऊ।

उपस्थित- श्री एस॰ए॰ए॰ हुसैना,

मूल वाद संख्या- 293/84

श्री रमेश निगम. .. वादी

बनाम

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ..प्रतिवादी

निर्णय

======

प्रस्तुत वाद वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत दाखिल किया है।

वाद के कथनानुसार वादी रमेश निगम को सर्वप्रथम हलवासिया मार्केट में हजरतगंज में काफी की दूकान थी और उस दूकान को करने का लाइसेन्स नगर महापालिका लखनऊ ने वैधानिक रूप से दिया था। यह कि नगर पालिका लखनऊ ने उस दूकान को जबरदस्ती अनाधिकृत रूप से जब हटाना शुरू किया तो वादी के साथ अन्य दूकानदारों ने दीवानी वाद दाखिल करके स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी पक्ष ने नगर पालिका के साथ मिलकर वादी पक्ष के साथ यह सुलह किया कि वादी व अन्य दूकानदारों को महात्मा गाँधी मार्ग से हटाकर जनपथ मार्केट में निर्माणाधीन दूकान में आवंटन करके स्थान दिया जायेगा और वादी पक्ष भी इसको मान गया और यह भी तय पाया था कि जितनी क्षेत्राधिकार में जिसकी दूकान थी उसे उतना ही उसका क्षेत्रफल दिया जायेगा। यह कि वादी ने लखनऊ नगर पालिका से 7.5.1975 को एक पत्र प्राप्त किया जिसमें उसको 8x8 फिट के क्षेत्रफल का दूकान आवंटित करने को लिखा गया था, परन्तु उसे संशोधित करके दूकान नं0 85 के स्थान पर दूकान नं0 56 जिसका क्षेत्रफल 6x6 फिट था आवंटित किया गया और यह कि 1979 में निर्माण पूरा हुआ और प्रतिवादी पक्ष ने आवंटन कार्य पुनः शुरू किया परन्तु आवंटन के समय जिन दूकानदारों को हस्तान्तरित किया गया था उसमें वादी का नाम नहीं था। वादी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य अधिकारियों को लिखा पढ़ी किया और तत्पश्चात् दूकान नं0 बी- 51 ब्लाक जनपद मार्केट लखनऊ जिसका क्षेत्रफल 4.5x22.5 फिट था, आवंटित किया गया, जबकि अन्य दूकानदारों को 10x22.5 फिट दिया गया।

..२..

वादी को आवंटन पत्र में अस्थाई समय के लिये यह दिया गया था और बाद में स्थाई दुकान देने को कहा गया। यह कि उपरोक्त आवंटित की हुयी दुकान में वादी टेलरिंग की दुकान करता है और जगह न होने के कारण उसके व्यवसाय पर असर पड़ता है। वादी की ओर से यह भी कहा गया कि उसी जनपद मार्केट की दुकानों में दुकान नं0 47 और दुकान नं0 42 अभी तक किसी को आवंटित नहीं की गयी है जिसका क्षेत्रफल वादी की दुकान से बड़ा है और चूँकि हलवासिया मार्केट से हटाये गये दुकानदार को उनकी पूर्व की दुकान से बड़ी जगह दी गयी है, इसलिये वादी को भी खाली दुकान नं0 47 या नं0 42 में से एक एलाट की जाये। वादी ने इस आशय से भी कि दुकान नं0 42 किसी और को आवंटित न हो अपने राज्य सरकार के सम्बन्धी विभाग को भी सूचित किया था और अभी तक यह दुकान किसी को आवंटित नहीं की गयी। अतः वादी की ओर से यह प्रार्थना की गयी कि प्रतिवादी पक्ष दुकान नं0 42 को किसी को आवंटित न करे और वादी को आवंटित करके कब्जा दे दे।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दावा दाखिल की गयी जिसमें यह स्वीकार किया गया कि वादी पहले दुकान महात्मा गाँधी मार्ग पर की तत्पश्चात् उसे वहाँ से हटाकर जनपद मार्केट में दुकान देने वास्ते लाया गया और अस्थाई रूप से दुकान नं0 53 उसे दिया गया और यह कहना गलत है कि वादी का नाम आवंटन करने वाली सूची में नहीं था, जबकि वादी स्वयं आवंटन करने के समय उपस्थित नहीं हुआ था और वादी के विलम्ब के कारण उसे बाद की दुकान दी गयी और जो बी-3 वार्ड है जिसका क्षेत्रफल 4.5x 22.5 फिट है और यह वादी की दुकान से स्वयं बड़ी है जो वादी हलवासिया मार्केट में कर रहा था यह कि दुकान नं0 47 पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है और दुकान नं0 42 राज्य सरकार के अधीन है इसलिये दोनों दुकानें उपरोक्त आधार पर आवंटित नहीं की जा सकती। अतः वाद पत्र खारिज किया जाये।

दोनों पक्षों के अभिकथनों पर निम्नलिखित वाद बिन्दु बनाये गए :-

उपरोक्त वाद बिन्दुओं को साक्ष्य के द्वारा साबित करने के लिये मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य इस प्रकार प्रेषित किए गए कि वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य पी0डब्लू0 1 रमेश निगम, पी0डब्लू02 ओम प्रकाश और पी0डब्लू03 सुशील कुमार, पी0डब्लू04 केशव कपूर परीक्षित किये गये और अभिलेखीय साक्ष्य में सी-50 सूची से 10 अभिलेख और ग-6 सूची से 12 अभिलेख वादी पक्ष ने दाखिल किये। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष ने केवल एक मौखिक बयान डी0डब्लू0 1 श्री शंकर श्रीवास्तव जिलेदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण परीक्षित किया गया।

उपरोक्त अभिलेखों व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद बिन्दुओं का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है:-

<u>वाद बिन्दु नं01 व 2</u> यह दोनों वाद बिन्दु एक ही विषय से सम्बन्धित है, इसलिये एक साथ निस्तारित किये जाते है।

संक्षेप में वादी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि महात्मागांधी रोड के ऊपर बरामदे में जो वादी की काफी/दुकान थी [illegible] 6x[illegible] फिट के क्षेत्रफल की थी और चारों तरफ से खुली हुयी थी और उसके बदले जो दुकान दे दी गयी वह उससे बड़ी क्षेत्रफल की है, परन्तु इस प्रकार बनी है कि चौड़ान बहुत कम है और उसका व्यवसाय पर असर पड़ता है, जबकि अभी पुराने बरामदे में जो दुकानदार दुकान लगाते थे उन सभी को 10फिटx22.5 फिट क्षेत्रफल की दुकान दी गयी है, जबकि वादी को 4.5 फिट x22.5 फिट क्षेत्रफल की दुकान दी गयी है वादी पक्ष की ओर से इस तथ्य को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में अपने को परीक्षित कराया और अपने तीन गवाहान को परीक्षित कराया।

पी0डब्लू01 रमेश निगम ने तथ्यों को समर्थित करते हुये बताया कि जो दुकान महात्मागांधी मार्ग पर थी वह उसे कस्टोडियन ने एलाट किया था और वह वह दुकान फरवरी, 1975 में महापालिका द्वारा

• अगर

हटा दी गयी जिसका साइज 6x6 फिट था और जब उसे आवंटन हेतु जन-प मार्केट पर बुलाया गया तो वहाँ सूची मे उसका नाम ही नहीं था बाद मे उसे जो दुकान आवंटित की गयी उसकी चौडाई 4.5x22.5 फिट है। जब उसने आपत्ति किया तो यह कहा गया कि बड़ी दुकान खाली नहीं है और जब बड़ी दुकान खाली हो जायेगी तो उसे दी जायेगी बी-42 इस समय खाली है जिसका साइज 10x22.5 फिट है। वादी के अनुसार बहुत से ऐसे लोग है जिनकी दुकाने छोटी थी और उन्हे बड़ी दुकान एलाट की गयी ऐसे दुकान-दारों को जिन्हे बाद मे बड़ी दुकान दी गयी जिसमे बालमुकुन्द फलवाला बी-37 रमेश चौधरी बी-34 पानवाला बी-एल 23 आदि है। इसके अलावा यह बताया कि छोटे स्टाल वालों को बड़ी दुकान दी गयी है उसमे अनुज सन्त जिसके पास 4x6 का स्टाल था जिसको 10x22.5 की दुकान दी गयी दीपक ट्रेन कार्नर के पास 4x6 का स्टाल था जिसे 10x22.5 दिया गया। मार्डन बुक सेन्टर के पास 4x6 का था जिसको बी-6 व बी-7 दिया गया जिसका साइज 10x22.5 है। वादी के अनुसार जितना बड़ा जिसका स्टाल था उससे बड़ी दुकान उसे दी गयी परन्तु आवंटन इस प्रकार है कि उसके व्यवहार पर असर पड़ेगा इसलिये यह वाद पत्र दाखिल किया गया।

पी.डब्लू02 ओम प्रकाश ने यह बताया कि उसका पहले जो स्टाल था वह 10x4 फिट का था और उसके बदले उसे 10x18.5 फिट का दिया गया यह भी बताया कि वादी को 4 फिट चौड़ा दुकान है जिसमे दोनों हाथ फैलाकर टेलरिंग का काम नहीं चलाया जा सकता और इसलिये वादी को बड़ी दुकान मिलनी चाहिये।

पी.डब्लू03 सुनील कुमार ने यह बताया कि पहले उसके पास जो दुकान थी उसका साइज 12x7 था और अब जनपथ मार्केट मे जो दुकान नं0 ए-20 जो उसे आवंटित की गयी है उसका साइज 20x10 फिट है और उसके व्यापार के अनुसार यह दुकान सही है।

पी0डब्लू04 कैलाश कपूर ने यह बताया कि उसकी दुकान पहले

5पर

8x8 की जिसके बदले जनपथ मार्केट में 10x18 फिट दी गयी है।

वादी व उसके समस्त गवाहान ने यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष रखा कि जनपथ मार्केट बनने से पूर्व जहाँ जहाँ उनकी दूकान थी उसका क्षेत्रफल कम था और उससे बड़ा क्षेत्रफल तब ही दिया गया कैलाश कपूर को जिसके दूकान का क्षेत्रफल वादी की दूकान के बराबर था उसे 10x18 दिया गया इसी प्रकार से सभा ने यही साबित करने की कोशिश की जिनकी दूकान के बदले उन्हें बड़ा क्षेत्रफल दिया गया जो उनके व्यवसाय के अनुरूप है सही था, परन्तु वादी को जो दूकान दी गयी वह टेलरिंग के लिहाज से सही नहीं है क्योंकि 4.5 फिट चौड़ी दूकान में कपड़ा सिलने वाला व्यक्ति उसको ठीक से फैला भी नहीं सकता और इसी आधार पर वादी की ओर से यह कहा गया कि उसने बी-42 और बी-47 दूकानों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया।

वादी की ओर से जो अभिलेख दाखिल किये गये उसमें ग-51 तहसीलदार लखनऊ द्वारा वादी को दूकान का आवंटन पत्र है। जारी किया गया है। ग-52 दूकान नं0 85 का अग्रिम व लगान की धनराशि का है। ग-53 रसीदें हैं, ग-54 दूकान नं0 85 के स्थान पर दूकान नं0 56 आवंटित करने की सूचना है। ग-55 प्रभारी अधिकारी द्वारा वादी को दूकान नं0 56 का कब्जा देने के बाबत ग-56 वह पत्र है जिसे वादी ने सह सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस बाबत लिखा है कि उसे जो दूकान दी गयी वह सही नहीं है और ग-56 वह वादी का पत्र है जिसमें यह बताया गया कि उनको तो बड़ी दूकान दी गयी और वादी को आधी दूकान दी गयी। वादी की ओर से वह पत्र भी दाखिल किया गया है जिसमें उसने सम्बन्धित विभाग को भी लिखा था और उसके पत्र पर एक दूकान सम्बन्धित विभाग ने रोक दिया था।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू01 शिवशंकर श्रीवास्तव जिलेदार लखनऊ विकास प्राधिकरण को परीक्षित किया जिन्होंने यह बताया कि वादी को महात्मा गाँधी मार्ग मार्केट के बरामदे में 8x8 फिट की दूकान प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गयी फिर वहाँ से हटाकर पुराना होटल

[illegible]

आफिस पर 8x8 फिट की जमीन दी गयी और बाद में आवंटन प्रतिवादी ने जनपथ मार्केट में डी-51 जो कि 5x22.5 फिट वादी को आवंटित किया गया। डी-42 राज्य सरकार के अधीन होने के कारण आवंटित नहीं किया जा सकता अपनी ब्यान जिरह में यह उसने बताया कि वह राज्य सरकार के कन्ट्रोल में नहीं है और उसे यह नहीं मालूम कि किसी को आवंटन हुआ है या नहीं परन्तु आवंटन बन्द है।

उपरोक्त तथ्यों व xxxxxx तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीकी दूकान पहले हलवासिया मार्केट में थी, जहाँ उसे व अन्य दूकानदारों को विस्थापित किया गया है और सबको उनके पूर्व की दूकान की क्षेत्रफल से बड़ा क्षेत्रफल वाली दूकान दी गयी जो सभी के व्यवसाय के अनुरूप था और वादी को उसके व्यवसाय के अनुसार ऐसी दूकान मिलनी चाहिए थी जिसमें कपड़े की स्टाक और सिलाई का कार्य सुचारु रूप से चलता रहता यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी ने जिन गवाहों को प्रस्तुत किया वह सब अपने व्यवसाय के अनुसार दूकान के क्षेत्रफल से और उसकी बनावट से सन्तुष्ट है, परन्तु वादी यह तो मानता है कि उसको बड़ा क्षेत्रफल मिला परन्तु टेलरिंग के व्यवसाय के लिये दूकान के साइज से व बनावट से सन्तुष्ट नहीं है और प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि जब उसने दूकानदारों को महात्मा गांधी मार्ग से उनकी आवंटित दूकानों को हटाकर उन्हें विस्थापित किया तो सभी को उनके व्यवसाय के अनुरूप दूकान देनी चाहिये थी और वादी का प्रतिवादी के विभाग को बार- बार पत्र लिखना, और चक्कर लगाना यह साबित करता है कि वादी सन्तुष्ट नहीं था और यह भी सही पाया जाता है कि अन्य दूकानदारों को 10x22.5 फिट की दूकान आवंटित की गयी क्योंकि पहले उनकी दूकान वादी की दूकान के क्षेत्रफल के बराबर या कम थी। अतः उपरोक्त आधार पर वादी xxxxxx 10x22.5

सिद्ध के सैम्पल की दुकान पाने का अधिकारी है; और इसी आधार पर बी-42 सैम्पल के आधार पर वह पाने का अधिकारी है और दोनों वाद बिन्दुओं को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु नं० 3 व 4</u> - यह दोनों वाद बिन्दु एक ही विषय से संबंधित है, इसलिये एक ही साथ निस्तारित किये जाते हैं। दुकान नं0 बी-42 के सम्बन्ध में वादी की ओर से वादपत्र में अनुतोष मांगा गया है और इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि यदि यह दुकान वादी को आवंटित कर दी जाये तो वादी के व्यवसाय के अनुसार वह उसकी बनावट के अनुरूप वादी को पूर्ण संतोष मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से उसको लाभ होगा, वादी की ओर से यह कहा गया कि बी-42 किसी को आवंटित नहीं किया गया है और वह खाली पड़ी है और प्रतिवादी इसको छुपाए हुए है। प्रतिवादी की ओर से यह कहा गया कि बी-42 किसी को आवंटित नहीं है और यह राजकीय कन्ट्रोल में है। राजकीय कन्ट्रोल के बाबत यह बताया गया कि राज्य सरकार की निगरानी में है।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जनपद मार्केट, लखनऊ विकास प्राधिकरण आवंटित करती है और यह भी राज्य सरकार के द्वारा गठित की गयी एक प्राविधान है जिसके अधिकारी भी राजकीय अधिकारी है और जो विभाग के अन्तर्गत कार्य करते है और इस प्रकार से प्राधिकरण का वही कर्तव्य होता है जो राज्य सरकार का है और यह दोनों का कर्तव्य है कि विस्थापित दुकानदारों को उनके व्यवसाय को चलाने के लिये पूर्णरूप से समर्थन है और यहां पर प्राधिकरण ने वादीको उसके पूर्व से बड़ी दुकान एलाट तो किया परन्तु बी- 42 नहीं एलाट कर रही है। यह किसी राजकीय विभाग को आवंटित नहीं है केवल यही कहा गया कि यह राज्य सरकार के कन्ट्रोल में है और बन्द पड़ी है। चूंकि यह इस समय किसी विभाग द्वारा कार्य क्षेत्र में नहीं लायी जा रही है।

..6पर

अतः इस दुकान बी-42 को वादी को एलाट करने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और यदि कोई राज्य सरकार उसमें कार्य करना चाहती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बी-42 वादी को आवंटित करते हुये स्वयं बी-31 पार्ट में अपना कार्य करे जिससे शासकीय कार्य में भी कोई बाधा नहीं होगी और वादी को बी-42 दुकान मिल जायेगी और यदि प्राधिकरण चाहे तो एक नई दुकान बी-42 के क्षेत्रफल के बराबर निर्माण करके वादी को दे सकती है।

उपरोक्त तथ्यों व तर्कों के आधार पर प्रतिवादी के कथन के आधार पर यह स्पष्ट है कि बी-42 जनपद मार्केट वाली दुकान किसी को भी आवंटित नहीं है और राजकीय कार्य के लिये भी उपयोग नहीं की रही है क्योंकि वह बन्द पड़ी है इसलिये वादी उसे पाने का बनावट व क्षेत्रफल के आधार पर पाने का अधिकारी है और इस अनुतोष के साथ वादी का वाद डिक्री करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध सव्यय डिक्री किया जाता है प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि दुकान नं0 बी-42 जनपद मार्केट लखनऊ वादी को एक माह (एक महीने) में विधिवत आवंटित करे और यदि यह बी-42 प्रतिवादी या किसी विभाग के कन्ट्रोल में हो तो उसे इसी अवधि में बी-31 (दुकान) विस्थापित कर दें।

ह0अपठनीय

दिनांक- 3.2.1989

(एस.ए.ए. हुसैनी)
अतिरिक्त सिविल जज-6,
लखनऊ।

निर्णय आज मेरे न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित।

दिनांक- 3.2.1989

(एस.ए.ए. हुसैनी)
अतिरिक्त सिविल जज-6,
लखनऊ।

Court No. - 28

Case :- MISC. BENCH No. - 4665 of 2002

(D.K)

Petitioner :- Ramesh Nigam
Respondent :- Lucknow Vikas Pradhikaran, Thru Secretary, Lucknow
Petitioner Counsel :- Krishna Mohan
Respondent Counsel :- K. Chandra

Hon'ble Prakash Chandra Verma,J.
Hon'ble Raj Mani Chauhan,J.

Case called out.

None appears to press this Writ Petition on behalf of the petitioner(s).

It is accordingly dismissed for want of prosecution.

The interim order, if any, stands vacated.

Order Date :- 8.10.2010
Santosh/-

(131)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांकः 1458/m-24/2020

दिनांकः 24/06/2020

सेवा में,

तहसीलदार,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः- जनपथ मार्केट लखनऊ, स्थित गोदाम संख्या-04 का मूल्यांकन भवन पुराना होने के कारण डिप्रीसिएशन वैल्यू के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 4059/रेन्ट/20 दिनांक 19.06.2020

महोदय,

कृपया विषयोक्त से संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपथ मार्केट लखनऊ, स्थित गोदाम संख्या-04 जो 40 वर्ष पुराना है, का मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू चाहा गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपथ मार्केट लखनऊ, स्थित गोदाम संख्या-04 का मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू कुर्सी क्षेत्रफल दर 2018 के आधार पर आंकलित किया गया है। जनपथ मार्केट लखनऊ, स्थित गोदाम संख्या-04 का मूल्यांकन/डिप्रीसिएशन वैल्यू रु0 4.37 लाख है जिसमें भूमि एवं फर्नीचर की लागत सम्मिलित नहीं है।

संलग्नकः- मूल्यांकन प्रपत्र मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांकः

दिनांकः

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता (षष्टम्), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।

SO(R-2)
25/6/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

D:\Yogesh Srivastava\Forwarding\2- ExEn to LDA.doc

Valuation of Godown No.4, Janpath Market Lucknow (Excluding Cost of Land & Furnitures)

Lower Ground Floor

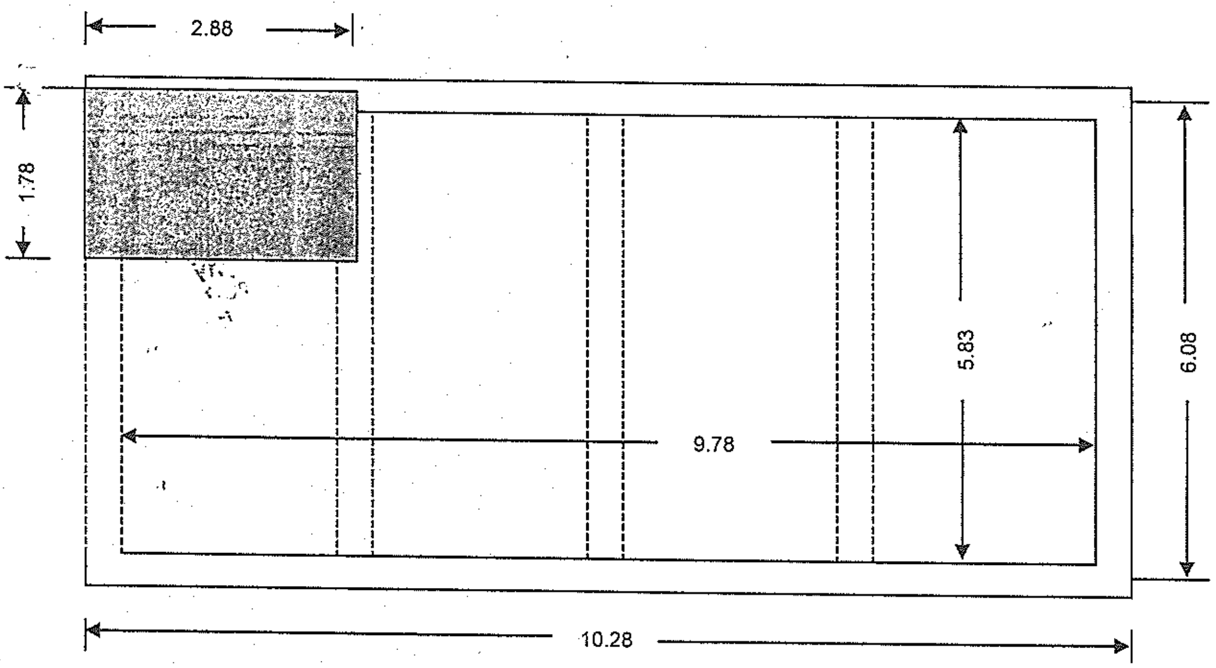

Lower Ground Floor

S.N.	Description	No.		Length		Width		Content	
1	Plinth Area	1	x	10.28	x	6.08	=	62.50	Sqm
2	Deduct area	-1	x	2.88	x	1.78	=	-5.13	Sqm
						Total Plinth Area of Lower Ground Floor =		57.37	Sqm

Plith Area Rate of 2018 (Vide Letter No. 58 / 69 B.P. Wing/ 2017 Dated 10-01-2018)

Plinth Area Rate for Godown 12870.00 per Sqm

Total Rs 12870.00 per Sqm

Valuation on the basis of Plith Area Rate of 2018 (Excluding Cost of Land & Furnitures) 57.37 Sqm @ 12870.00 per Sqm

= Rs 738352.00

Depriciated Value "D" = $P \times \left[\frac{100 - rd}{100}\right]^n$

P is present market value 738352.00

rd is rate of depriciation 1.3

n is number of years the building had been constructed 40

Depriciated Value "D" = $738352.00 \times \left[\frac{100 - 1.3}{100}\right]^{40}$

Rs 437471.00

Say Rs 4.37 Lacs

Junior Engineer
Construction Division 1
P.W.D.,Lucknow.

Assistant Engineer VI
Construction Division 1
P.W.D.,Lucknow.

Executive Engineer
Construction Division 1
P.W.D.,Lucknow.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक में विचारणीय अन्य विषय

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	01
02.	श्री राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	02
03	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाइजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।	03
04.	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10: से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या–4575/आठ–1–06–87विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	04

अ०वि०सं० -01 पृ०सं०-01

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता—सिविल (प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा) द्वारा अपने पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा स्थानीय चिकित्सालय आस्था द सेन्टर आफ जेनरेटिक एवं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेसिलिटी हास्पिटल, लखनऊ से करायी गयी है। श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय रू0 10,70,782.00 मात्र के बाउचर्स प्रस्तुत किये गये, जिसमें से रू0 8,50,315.00 (आठ लाख पचास हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) के बाउचर्स का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या मु0चि0अ0 / चि0प्र0पू0 / 2020 / 11760 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा किया गया है। श्री राज कुमार सहायक अभियन्ता को रू0 1,98,750.00 का चिकित्सा अग्रिम दिया जा चुका है, जिसके समायोजन पश्चात रू0 6,51,565.00 का भुगतान किया जाना है। श्री राज कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति बावचर्स की धनराशि जो रू0 5,00,000.00 से अधिक है। इसलिए उक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 8,50,315.00 (आठ लाख पचास हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) में रू0 1,98,750.00 का चिकित्सा अग्रिम के समायोजन एवं शेष धनराशि रू0 6,51,565.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10/9/2020 10/9/2020 10/9/20

अ० वि० सं०-02 पृ० सं०-02

विषयः— श्री राजीव सिंह अधिशासी अभियन्ता—(वि/यॉ) मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राजीव सिंह अधिशासी अभियन्ता—(वि/यॉ) मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान के सम्बन्ध अवगत कराना है कि श्री राजीव सिंह, द्वारा अपनी पत्नी की चिकित्सा पर किये गये व्यय रू0 6,78,489.00 के बावचर्स प्रस्तुत किये गये जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या मु0चि0अ0/चि0प्र0पू0/2019/11505 दिनांक 24.08.2020 द्वारा कुल रू0 5,81,784.00 का सत्यापन किया गया है। श्री राजीव सिंह, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा वि0/यॉ0 के अधिशासी अभियन्ता हैं जो मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत रहते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्बद्ध किये गये हैं। इनकी सम्बद्धता अवधि 06.07.2018 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्बद्ध हैं। इनके सेवाभिलेख जैसे, वैयक्तिगत पत्रावली, सेवा पुस्तिका का रख—रखाव मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण में इनके सेवा सम्बन्धी कोई भी अभिलेख नहीं है, और न ही इनके वेतन का भुगतान ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है। श्री राजीव सिंह, अधिशासी अभियन्ता— (वि/यॉ), द्वारा ल0वि0प्रा0 में सम्बद्धता अवधि के दौरान अपनी पत्नी के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 5,81,784.00 (पांच लाख इक्यासी हजार सात सौ चौरासी मात्र) का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
ल0वि0प्रा0

अ० विषय संख्या – 03 पृष्ठ संख्या – 03

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाईजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार आवासीय योजना, जानकीपुरम विस्तार आवासीय योजना एवं बसंतकुंज आवासीय योजना जो अभी तक नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं हुई हैं, और उनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है तथा प्राधिकरण के गोमती नगर एवं लालबाग कार्यालय में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी के बचाव हेतु सैनेटाईजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग से सम्बन्धित कार्य अनवरत किया जा रहा है। इन कार्यों में होने वाले व्यय का वहन जनहित में प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

14/9/20

14.9.20
अधिशासी अभियन्ता
वि० प्रा० ल० जोन– अनुरक्षण

14/9/20
(नवनीत कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

अ0वि0सं0-04 पृ0सं0-04

बोर्ड प्रस्ताव

विषय :– गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश सं0 4575/आठ–1–06– 87विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर (बोर्ड) से अनुमोदन प्राप्त करन के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु मेसर्स वैष्णों इन्फ्रा कान्ट्रेक्ट प्रा0लि0 के पक्ष मे अनुबन्ध संख्या–2966/मु0अ0/12–13 दिनांक 05.02.2013 द्वारा रूपये 33,97,75,828.00 का अनुबन्ध निष्पादित हुआ था। उक्त बस अड्डा को उ0प्र0 परिवहन निगम को हस्तान्तरित करने/संचालित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम एवं प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों द्वारा कतिपय आवश्यक निर्माण कार्यो को सम्पादित करने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देशित किया गया कि चूँकि बस स्टेशन का लोकार्पण दिनांक 15.01.2020 को प्रस्तावित है, अतः निर्दिष्ट समस्त आवश्यक कार्यो को दिनांक 14.01.2020 तक पूर्ण करा लिया जाय, निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने के दृष्टिगत निविदा प्रक्रिया में समय लगने के कारण उपरोक्त कार्य को कार्यरत्/अनुबन्धित एजेन्सी द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

अनुबन्धित धनांक (दिनांक 05.02.2013)	–	रू0 33,97,75,828.00 (रू0 3397.76 लाख)
स्वीकृत विचलन धनांक (दिनांक 24.06.2016)	–	रू0 36,65,17,505.00 (रू0 3665.18 लाख)
प्रस्तावित विचलन धनांक	–	रू0 38,30,75,499.00 (रू0 3830.75 लाख)

शासनादेश संख्या 4575/आठ–1–06– 87विविध/06 दिनांक 14.07.2006 द्वारा विचलन 10% से अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार विचलन धनांक रू0 38,30,75,499.00 (रूपये अड़तीस करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे मात्र) जो स्वीकृत मूल अनुबन्धित धनांक से 12.74 प्रतिशत अधिक है, को मा0 बोर्ड के समक्ष कृपया विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Letter-1 zone-1

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

संख्या : 4575/आठ-1-08-87विविध/08

प्रेषक,

के.एल. मीना
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2008

विषय :- विकास प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण/विकास कार्यों में निविदित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में निविदा की धनराशि से वास्तविक व्यय बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इस कार्यवाही से एक ओर विकास प्राधिकरणों/परिषद के आय-व्ययक व्यवस्था (बजट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अप्रत्याशित व्यय से उनका वित्तीय प्रबन्धन भी प्रभावित हो रहा है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि:-

1. विकास प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों की निविदा में उल्लिखित धनराशि/मात्राओं में 10 प्रतिशत से अधिक विचलन किसी भी दशा में न किया जाय। 10 प्रतिशत से अधिक विचलन अपरिहार्य होने की दशा में पुनरीक्षित आगणन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाये।

2. वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के वित्त नियंत्रक/प्रभारी वित्त अधिकारियों का है। अतः उपर्युक्त उप प्रस्तर-1 के उल्लंघन की दशा में उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।

06

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा अब तक लम्बित समस्त विकास/निर्माण कार्यों पर प्रवृत्त माने जायेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(के.एल. मीना)
सचिव

संख्या : 4575(1)/आठ-1-06, तद्दिनांक

1. प्रतिलिपि अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी, विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
अनुसचिव

07

F.D.R. No. 222733 Date 26-03-2012 Rs. 70,00,000/- State Bank of Hyderabad Gomti Nagar LKO

(2) F.D.R. No. 333454 दि० 14.2.11 राशि : 67,00,000.00

निविदाकी स्वीकृत दरें :-

1- 15050/- Sqm.

2- 16,500/- Sqm.

3- 10,600/- Sqm.

Mobilisation Adv.

10% Rs. 33298030/-

304

(डी० सी० श्रीवास्तव)

अधिशासी अभियन्ता जोन-1

अनुबन्ध में प्रति

6-2-13

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

IInd R/B Passed for Rs. 17140,000/- Only

I.T. Rs. 569250/- Only

T.T. Rs. 1138500/- Only

Cess Rs. 284625/- Only

3/3/14

File No. 55/E.E-ZONE-I/12-13

Dated……………200

N……22……/AA-ZONE-I

Year 2002-13

अनुबन्ध सं० – 2966/अ० 84/12-13 दि० 5/02/13

Lucknow Development Authority

Contract Deed Executed

By

SSRS. माँ वैष्णो इन्फ्रा प्रा० लि० CONTRACTOR

For गोमतीनगर योजना के विकास खण्ड में बस अड्डा एवं बजट होटल का निर्माण एवं विकास कार्य।

Estimated Cost Rs. 33,54,23,751.00 Date of starting of work 08.02.2013

Tender Amount Rs. 33,97,75,828.00 Date of completion of work 07.08.2014

नोट : VC के स्थान पर मु० अ० पढ़ा जाए।

30.3.16